संख्या ए-३००१/२५-सी०एक्स०-(ए)-६४

प्रेषक,

श्री कौशल कुमार दास,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, ८ जुलाई, १९६४ ई०

विषय—उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का गठन।

महोदय,

गोपन (क) विभाग।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्थापित किये जाने के कारण राज्य सरकार ने भी इस मामले पर विचार किया है और इस राज्य में अपनाने के लिये निम्नलिखित योजना तैयार की गई है:—

२—एक निकाय स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग कहलायेगा।

३—इस सतर्कता आयोग में तीन सदस्य होंगे जिनमें से दो सदस्य यू० पी० डिसीप्लिनरी प्रोसीडिंग्स (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) रूल्स, १९४७ के अधीन गठित प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य होंगे और तीसरा सदस्य सतर्कता निदेशक होगा। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अध्यक्ष इस आयोग का सभापति होगा।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण—प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इस समय दो अंशकालिक सदस्य हैं। अनुशासनिक कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण करने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि इस न्यायाधिकरण में ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल रूल्स के अनुसार नामित पूर्णकालिक सदय होंगे। यह न्यायाधिकरण ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल रूल्स, १९४७ के अनुसार सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये मामलों में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आनुशासनिक जांच के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

सतर्कता निदेशालय—सतर्कता निदेशालय पुलिस महानिरीक्षक की हैसियत के किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन स्थापित किया जायगा और उक्त अधिकारी का पदनाम सतर्कता निदेशक होगा। निदेशालय का कार्य ऐसे मामलों में जो सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायं, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अन्य अनाचार की शिकायतों की जांच करना होगा। वर्तमान अपराध अनुसन्धान विभाग पूर्ववत् ऐसे मामलों की जांच करता रहेगा जो विशेषरूप से उसे निर्दिष्ट किये जायं। सतर्कता निदेशालय का स्वयं अपना कर्मचारिवर्ग होगा जो अपराध अनुसन्धान विभाग के कर्मचारिवर्ग से पूर्णतया पृथक होगा। सतर्कता निदेशालय के कार्य तथा उसके द्वारा जांच के संचालन के विनियमन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली की एक प्रतिलिपि संलग्न है। सतर्कता निदेशालय के कार्य के सम्बन्ध

में इस नियमावली से इस विभाग के शासनादेश संख्या ए-३५१/२५---सी०एक्स०, दिनांक १७ जनवरी, १९४९ के साथ परिचालित प्रक्रिया नियमावली (रूल्स आफ प्रोसिज्योर) का अतिक्रमण हो जायगा।

४---सतर्कता आयोग सामान्यतया भ्रष्टाचार के निवारण तथा नियन्त्रण के लिये प्रस्ताव बनायेगा और विशेषतः निम्नलिखित कार्य कर सकता है :---

(क) भ्रष्टाचार के अवसरों को दूर करने के उद्देश्य से किसी भी सरकारी विभाग या कार्यालय में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अथवा प्रथा में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देना।

(ख) ऐसे आंकड़े तथा अन्य सूचना इक्ट्ठा करना जो उक्त प्रयोजन के लिये सुसंगत हों।

(ग) जनता की शिकायतों को सुनने तथा उन्हें दूर करने के लिये अनुसरण की जाने वाली रीति तथा प्रक्रिया के बारे में सरकार को परामर्श देना।

(घ) समस्त सरकारी विभागों, सरकारी कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों से प्रतिवेदन, परिलेख तथा विवरण-पत्र मंगाना, जिससे कि वह ऐसे विभागों, कार्यालयों तथा उपक्रमों में किये गये सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कार्य का सामान्य नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण कर सके।

(ङ) अपनी सिफारिशों पर किसी सरकारी विभाग, कार्यालय या उपक्रम द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना।

(च) अपने कार्यकलापों के बारे में सरकार के सतर्कता विभाग को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और सरकार का ध्यान किसी ऐसी सिफारिश की ओर आकृष्ट करना जो आयोग द्वारा अपने कार्यों के सम्बन्ध में की गई हो और सरकार या सम्बद्ध विभाग द्वारा स्वीकार या कार्यान्वित न किया गया हो। उक्त प्रतिवेदन विधान मन्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा।

५---न्यायाधिकरण के सदस्य तथा सतर्कता निदेशक सतर्कता आयोग के सदस्यों की हैसियत से ऐसी सूचना तथा आंकड़े प्रस्तुत करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा अपने कार्यों के दक्ष सम्पादन के लिये अपेक्षित हो।

६---सतर्कता आयोग विधान मन्डल के सदस्यों तथा शासन के सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करेगा।

७---अब तक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जांच के लिये केवल चुने हुये मामले ही निर्दिष्ट किये गये हैं। पुनरीक्षित व्यवस्था में उक्त न्यायाधिकरण एक पूर्णकालिक निकाय के रूप में कार्य करेगा और यह प्रस्ताव है कि सरकारी कर्मचारियों विशेषतः राजपत्रित अधिकारियों के भ्रष्टाचार तथा कदाचार आदि के आरोपों से सम्बन्धित मामले सामान्यतया उसे निर्दिष्ट किये जायेंगे।

८---सतर्कता आयोग अपने कार्य संचालन, बैठकें आयोजित करने और अन्य ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जो वह आवश्यक समझे, स्वयं अपने विनियम तैयार करेगा।

९---सतर्कता आयोग के लिये ऐसे कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था की जायगी जो उसके कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के समुचित निर्वहन के लिये आवश्यक हो। उक्त कर्मचारिवर्ग में कानूनी सलाहकार तथा प्राविधिक अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं।

१०-----सचिवालय के गोपन (क) विभाग की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई सतर्कता विभाग के नाम से एक पृथक विभाग हो जायगा जो मुख्य सचिव शाखा के अन्तर्गत कार्य करेगा।

११----उपर्युक्त पैरा ५ में उल्लिखित मामलों में सतर्कता आयोग की सिफारिशें सामान्यतया स्वीकार की जानी चाहिये। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में इस समय जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है उसी प्रक्रिया का आवश्यक परिवर्तन के साथ ऐसे मामलों में पालन किया जायगा जिनमें सतर्कता आयोग की सिफारिशें स्वीकार या कार्यान्वित न की जायं।

१२-----उपर्युक्त योजना इन आदेशों के जारी होने के दिनांक से लागू होगी।

१३---मुझे इस बात पर जोर देना है कि सरकार सतर्कता आयोग के गठन का भ्रष्टाचार रोकने तथा दोषरहित और दक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रयत्नों में महत्वपूर्ण कदम समझती है। अतएव यह आशा की जाती है कि उक्त योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी अधिकारी और सरकार के समस्त विभाग इसके सफल कार्यान्वयन के लिए अपना पूर्ण सहयोग देंगे। मुझे यह भी कहना है कि इस उद्देश्य की सफलता के लिए विभागाध्यक्षों तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों को पूर्ववत् ऐसी कार्यवाहियां करते रहना चाहिये जो आवश्यक समझी जायं और जो ऊपर उल्लिखित कार्यवाहियों से भिन्न हों। मुझे इस बात पर भी जोर देना है कि सतर्कता आयोग के गठित किये जाने का यह अर्थ नहीं है कि विभागाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी ऐसी सभी कार्यवाहियां करने के अपने कर्तव्य से मुक्त हो गये हैं, जिन्हें वे भ्रष्टाचार दूर करने के लिये आवश्यक समझें।

आपका विश्वासपात्र,

कौशल कुमार दास,
मुख्य सचिव।

संख्या ए-३००१ (१)/२५—सी०एक्स०-(ए)६४, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित :

(१) समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(२) उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलों के आयुक्त।
(३) समस्त जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(४) सभापति, सतर्कता आयोग और अध्यक्ष, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(५) पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(६) सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(७) सचिवालय के नियुक्ति (क), (ग) विभाग/सचिवालय प्रशासन विभाग (अधिष्ठान-१) और अन्य सभी विभाग।

आज्ञा से,

प्रताप किशन कौल,
सचिव।